सिद्धार्थनगर पुलिस

प्रेस नोट दिनांक 10.05.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆जनपदीय एसओजी व थाना भवानीगंज पुलिस ने गौकशी की घटना को अंजाम देने वाले अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर, बरामदगी के साथ घटना का सफल अनावरण किया।

◆अभियुक्त के कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर, 01 अदद जिंदा कारतूस व 01 अदद खोखा कारतूस, 02 अदद चाकू, 01 अदद बोगदा, 01 अदद लकड़ी का ठेहा, 01 अदद मोटरसाइकिल (हीरो होण्डा स्प्लेण्डर UP51AP8102) एक अदद एण्डरायड मोबाइल बरामद।

दिनांक 09/10.05.2025 की रात्रि को एसओजी व थाना भवानीगंज की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा चकचई तिराहे पर गोकशी से सम्बन्धित मु०अ०सं० 42/2025 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना भवानीगंज से सम्बन्धित अज्ञात अपराधियों की तलाश व गिरफ्तारी के सम्बन्ध में बातचीत/योजना बनायी जा रही थी कि जरिये मुखबीर सूचना मिली कि गौकशी से सम्बन्धित शातिर अपराधी ग्राम विथरिया की तरफ से सरयु नहर की पटरी से आ रहा है जो अपने साथी से मिलने ग्राम जबजौआ जाने वाले है। उक्त सूचना पर चौरा बनगबा गांव के आगे सरयु नहर पटरी पर चेकिंग प्रारम्भ किया गया तो ग्राम बिथरिया के तरफ से एक मोटरसाइकिल सवार आ रहा था पुलिस पार्टी को देखकर भागने लगा कि मोटर साइकिल सवार लड़खड़ाकर गिर गया और पुलिस टीम द्वारा चिल्लाकर रुकने के लिए कहने पर गिरफ्तारी से बचने के लिए भागते हुए पलटकर पुलिस टीम पर लक्ष्य कर जान से मारने की नियत से फायर करने लगा, जिसपर थानाध्यक्ष भवानीगंज बाल-बाल बचें। पुलिस पार्टी द्वारा आत्मसुरक्षार्थ में की गयी फायरिंग से अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी और वह घायल हो कर गिर गया । पुलिस पार्टी द्वारा घायल अभियुक्त का नाम पूछा गया तो अपना नाम अजरुद्दीन उर्फ गज्जन पुत्र महमुदुल हसन निवासी विथरिया थाना भवानीगंज जनपद

सिद्धार्थनगर बताया गया । पुलिस पार्टी द्वारा गिरफ्तार अभियुक्त को उपचार हेतु जिला अस्पताल सिद्धार्थनगर भेजा गया। पुलिस द्वारा अभियुक्त के कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर, एक अदद जिंदा कारतूस और एक अदद खोखा कारतूस, 02 अदद चाकू एक अदद बोगदा, एक अदद लकड़ी का ठेहा, एक अदद हीरो होण्डा (हीरो होण्डा स्प्लेण्डर UP51AP8102) एक अदद एण्डरायड मोबाइल बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना भवानीगंज में दिनाक 10.05.2025 को मु0अ0सं0 44/2025 धारा 109 बी0एन0एस0 व 3/4/5/25/27(1) आर्म्स एक्ट बनाम अजरूद्दीन उर्फ गज्जन पुत्र महमुदुलहसन निवासी ग्राम विथरिया थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पुछताछ का विवरण-

पूछताछ से ज्ञात हुआ कि अभियुक्त अजरूद्दीन उर्फ गज्जन उपरोक्त ने अपने एक सहयोगी के साथ मिलकर लावारिश घुमते हुए गोवंशीय जानवर को पकड़ कर उसका वध करके उसके मांस को बेच देते थे। अजरूद्दीन उर्फ गज्जन अपने एक सहयोगी के साथ गौकशी कर उसके अवशेष को बोरे में भरकर ग्राम चौरा बनगंवा के पास दिनांक 03/04.05.2025 की रात्रि को सरयू नहर रेग्यूलेटर के नीचे छिपा दिये था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01.अजरूद्दीन उर्फ गज्जन पुत्र महमुदुलहसन निवासी ग्राम बिथरिया थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर।

बरामदगी का विवरण-

01-एक अदद तमंचा 315 बोर बरामद।

02-एक अदद जिंदा कारतुस और एक अदद खोखा कारतुस बरामद।

03-दो अदद चाकू बरामद।

04-एक अदद बोगदा ,एक अदद लकड़ी का ठेहा।

05-एक अदद हीरो होण्डा स्प्लेण्डर UP51AP8102, एक अदद एण्डरायड मोबाइल।

अजरूद्दीन उर्फ गज्जन पुत्र महमुदुलहसन का आपराधिक इतिहास-

01-मु०अ०सं०05/2009 धारा 323/504/506 भा०द०वि० थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर।

02-मु0अ0सं0389/2010 धारा 147/323/336/427/504/506 भा०द०वि० थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर।

03-मु०अ०सं०03/2018 धारा 379 भा०द०वि० व 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर।

04-मु0अ0सं0202/2020 धारा 420/467/468/471 भा०द०वि० व 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर।

05-मु०अ०सं०169/2022 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर।

06-मु०अ०सं०01/2024 धारा 3(1) यू०पी० गैगेस्टर अधिनियम थाना डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर।

07-मु०अ०सं०42/2025 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण -

1-उ0नि0 हरिओम कुशवाहा प्रभारी एसओजी जनपद सिद्धार्थनगर।

2-उ0नि0 अमित कुमार थानाध्यक्ष भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर।

3-उ0नि0 मनोज सिंह थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर।

4-हे0का0 राजीव शुक्ला, आशुतोष धर दूबे, का0 विरेन्द्र तिवारी, छविराज, रोहित चौहान एसओजी जनपद सिद्धार्थनगर।

5-का0 गुफरान अंसारी, क्यूम अंसारी, अनित वर्मा थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर।

जनपदीय एसओजी व थाना भवानीगंज पुलिस ने गौकशी की घटना को अंजाम देने वाले 01 अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर, बरामदगी के साथ घटना का सफल अनावरण किये जाने के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर की वीडियो बाइट ।

सिद्धार्थनगर पुलिस

प्रेस नोट दिनांक 10.05.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में जनपद के समस्त थानो द्वारा अपने-अपने थानों पर किया गया थाना समाधान दिवस का आयोजन।

आज दिनांक 10.05.2025 को शासन के दिये गये निर्देश के अनुरूप जनता की समस्याओं के समाधान हेतु डॉ. अभिषेक महाजन, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों द्वारा अपने-अपने थानों पर थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया तथा जनता की समस्याओं के त्वरित व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु संबन्धित को आदेशित किया गया।

सिद्धार्थनगर पुलिस

प्रेस नोट दिनांक 10.05.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में चलाये जा रहे परिवार परामर्श केंद्र जब/नई-किरण(टूटते परिवार को जोडने की एक पहल कार्यक्रम) के तहत महिला थाना द्वारा 02 परिवार के मध्य सुलह समझौता कराकर उनके परिवारो को बिखरने से बचाया गया।

डॉ0अभिषेक महाजन, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देश पर आज दिनांक 10.05.2025 को महिला थाना सिद्धार्थनगर पर परिवार परामर्श केंद्र/नई किरण(टूटते परिवार को जोड़ने की एक पहल कार्यक्रम) का आयोजन किया गया। इस आयोजन में 03 पत्रावली विचारार्थ प्रस्तुत हुई। जिसमें परामर्श के बाद 02 पत्रावली का सफल निस्तारण कर 02 परिवारों को बिखरने से बचाया गया व 01 पत्रावली में वार्ता प्रचलित है 02 परिवार को बिखरने से बचाने में महिला थानाध्यक्ष मीरा चौहान, म0हे0का0 सत्या त्रिपाठी, म0हे0का0 सविता सिंह का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

निस्तारित पत्रावली का विवरण निम्न है-

1.अफसाना खातून पत्नी अब्दुल समद निवासी जोगीबारी पोस्ट खुरहुरिया थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर।

2.शबनम पत्नी नफीस निवासी मोहल्ला रमजान गली थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर।

सिद्धार्थनगर पुलिस

<u>प्रेस नोट दिनांक 10.05.2025 जनपद सिद्धार्थनगर</u>

◆सिद्धार्थनगर एण्टी रोमियो स्क्वाड पुलिस टीम द्वारा मिशन शक्ति के अन्तर्गत जनपद के स्कूल-कॉलेज व भीड़-भाड़ आदि स्थानों पर मनचलों एवं शोहदों की चेकिंग की गयी।

पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन में मनचलों एवं रोमियो के विरूद्ध चलाये जा रहे विशेष अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 10.05.2025 को प्रभारी एण्टी रोमियो स्कवाड टीम /शक्ति मोबाइल द्वारा मिशन शक्ति के अन्तर्गत एण्टी रोमियो कार्यवाही के तहत थाना क्षेत्र कपिलवस्तु मे कस्तूरबा आवासीय विद्यालय के प्रधानाचार्या से बालिकाओं के सुरक्षा के सम्बन्ध मे वार्ता किया गया व थाना क्षेत्र कपिलवस्तु मे ही कपिलवस्तु पार्क ,अलीगढवा, चौक व स्कूल-कॉलेज/कोचिंग सेन्टर के पास तथा थाना क्षेत्र के आस-पास के मुख्य सड़को, चौराहों पर चेकिंग की गयी तथा महिला दुकानदारों से नियमित आए दिन चौराहों बाजारों आदि में अनावश्यक घूमने वाले शोहदों आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की गई, चेकिंग के दौरान कोई अप्रिय बात नहीं रही।

एण्टी रोमियों टीम का विवरण-

01-म0उ0नि0 शाइस्ता प्रभारी एण्टी रोमियो टीम जनपद सिद्धार्थनगर।

02.आरक्षी श्री प्रकाश चौरसिया एंटी रोमियो स्क्वायड जनपद सिद्धार्थनगर।

सिद्धार्थनगर पुलिस

प्रेस नोट दिनांक 10.05.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆भारत-नेपाल सीमा पर स्थित थानो की पुलिस द्वारा एसएसबी व पीएसी के साथ ऑपरेशन सिंदूर के दृष्टिगत भारत-नेपाल अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर रुट मार्च व चेकिंग की जा रही है।

पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में आज दिनांक 10.05.2025 को भारत-नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित थानों की पुलिस द्वारा एसएसबी व पीएसी के साथ संयुक्त रुप से "ऑपरेशन सिंदूर" के दृष्टिगत संयुक्त रूट मार्च कर संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु, वाहनों की गहनता से चेकिंग की जा रही है । यह रूट मार्च सीमा से सटे संवेदनशील क्षेत्रों, नो-मैन्स लैंड तक आयोजित किया गया ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। रूट मार्च का उद्देश्य सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना और स्थानीय लोगों में सुरक्षा की भावना को बढ़ाना है।

सिद्धार्थनगर पुलिस

प्रेस नोट दिनांक 10.05.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆जनपदीय पुलिस द्वारा "ऑपरेशन सिंदूर" व आगामी त्यौहार तथा जनपद में कानून एवं शांति-व्यवस्था बनाये रखने हेतु अपने-अपने सर्किल/ थाना क्षेत्रो में पड़ने वाले चिन्हित हाट स्पाट व उसके आस-पास के क्षेत्रों में संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु, ढाबा, होटल, वाहनों की गहनता से चेकिंग/पैदल गश्त कर आम जनमानस में सुरक्षा का एहसास कराया गया।

पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में आज दिनांक 10.05.2025 को समस्त क्षेत्राधिकारी/प्रभारी निरीक्षक/ थानाध्यक्ष द्वारा "ऑपरेशन सिंदूर" व आगामी त्यौहार तथा जनपद में कानून एवं शांति-व्यवस्था बनाये रखने हेतु अपने-अपने सर्किल/ थाना क्षेत्रो में पड़ने वाले चिन्हित हाट स्पाट व उसके आस-पास के क्षेत्रों में पड़ने वाले भीड़-भाड़ वाले स्थानों के आस पास के क्षेत्रों में संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु, ढाबा, होटल, वाहनों की गहनता से चेकिंग/पैदल गश्त तथा आमजनमानस में सुरक्षा का एहसास कराते हुये जनसंवाद स्थापित किया गया व आपस में सौहार्द बनाये रखने हेतु अपील की गयी।